



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 154 राँची, गुरुवार,

27 मार्च, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

संकल्प

26 मार्च, 2025

संख्या-08/वि.स्था.आ.(आँधी-तूफान एवं ग्रीष्म लहर)-02/2025-223--

विषय:- झारखण्ड राज्य में आँधी-तूफान (Storm) तथा ग्रीष्म लहर (Heat Wave) से हुए सम्भावित जानमाल की क्षति को देखते हुए आँधी-तूफान तथा ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अन्तर्गत आपदा घोषित करने के सम्बन्ध में ।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-33-03/2021-NDM-I, दिनांक-12.01.2022 द्वारा निर्गत राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund-SDRF) के दिशा निर्देश की कंडिका-3.1 के अनुसार अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं (चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्निकाण्ड, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट आक्रमण, शीतलहर एवं पाला) हेतु राज्य आपदा मोचन निधि संबंधी निर्गत मद एवं मानदण्ड के तहत आश्रित/हकदार को अनुग्रह अनुदान प्रदान की जाती है ।

2. 15वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के आलोक में निर्गत उक्त दिशा-निर्देश की कंडिका- 3.2 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा घोषित किये जाने वाले विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से पीड़ितों को शीघ्र राहत पहुँचाने में होने वाले व्यय पर राज्य आपदा मोचन निधि से वार्षिक कर्णांकित राशि का 10% की राशि व्यय करने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। इसके लिए राज्य कार्यकारिणी समिति से राज्य की विशिष्ट आपदाओं की सूची, उनके मद एवं मानदण्ड के अनुरूप आपदाओं से पीड़ितों के चयन की प्रक्रिया का अनुमोदन प्राप्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत करने का उल्लेख किया गया है।

3. विभागीय ज्ञापांक-1055 दिनांक-11.09.2015 द्वारा “वज्रपात” को झारखण्ड राज्य की स्थानीय प्राकृतिक आपदा, विभागीय संकल्प सं.-969 दिनांक-25.10.2018 द्वारा अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा), सर्पदंश, खनन् जनित आपदा रेडियेशन संबंधी आपदा, भगदड़ एवं गैस रिसाव, विभागीय संकल्प सं.-184 दिनांक-13.03.2021 द्वारा सड़क दुर्घटना को विशिष्ट स्थानीय आपदा तथा विभागीय संकल्प सं.-186 दिनांक-06.03.2023 द्वारा ‘पानी में डूबने’ संबंधी आपदा से होने वाले जानमाल की क्षति के निमित्त अनुदान की राशि प्रभावितों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित है।

4. गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2020-NDM-I (Vol-II) दिनांक-10.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से राशि के व्यय के निमित्त निर्गत मद एवं मानदण्ड की कंडिका (घ) “जो राज्य की विशिष्ट आपदाओं के संबंध में है, के अनुसार राज्य में स्थानीय संदर्भ में राज्य विशिष्ट आपदाएँ, जो SDRF/NDRF से सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं, से संबंधित व्यय की पूर्ति SDRF के संबंधित विंडो की वार्षिक निधि आवंटन के 10% की सीमा के भीतर SDRF से की जा सकती है”, का प्रावधान किया गया है।

5. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार “आपदा” से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति अनिष्टतः, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान हानि या मानवीय पीड़ाएँ या सम्पत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

6. विभाग में विभिन्न जिलों से आँधी-तूफान तथा ग्रीष्म लहर से हुए सम्भावित जानमाल की क्षति पर आश्रित/हकदार को अनुग्रह अनुदान भुगतान करने के संबंध में मार्गदर्शन का अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही विधायी माध्यम से आँधी-तूफान तथा ग्रीष्म लहर से हुए सम्भावित जानमाल की क्षति पर आश्रित/हकदार को मुआवजा भुगतान से संबंधित उचित कार्रवाई हेतु विभाग को प्राप्त होते रहे हैं।

7. उक्त वर्णित वस्तुस्थिति के आलोक में दिनांक-04.02.2025 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में “झारखण्ड राज्य में आँधी-तूफान तथा ग्रीष्म लहर से हुए सम्भावित जानमाल की क्षति को देखते हुए आँधी-तूफान तथा ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अन्तर्गत आपदा घोषित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।”

8. उक्त परिपेक्ष्य में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिए गए हैं कि:-

(i) झारखण्ड राज्य में आँधी-तूफान (Storm) तथा ग्रीष्म लहर (Heat Wave) से हुए सम्भावित जानमाल की क्षति को देखते हुए आँधी-तूफान तथा ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित किया जाता है।

(ii) आँधी-तूफान (Storm) तथा ग्रीष्म लहर (Heat Wave) से मृत व्यक्ति के आश्रित/प्रभावित परिवार को गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-03/2020-NDM-I (Vol-II) दिनांक-10.10.2022 द्वारा निर्गत मद एवं मापदण्ड की कंडिका-1(a) के अनुरूप सहायता राशि प्रदान की जायेगी तथा कंडिका-6(i) के आलोक में दुधारू पशुओं/गैर दुधारू पशुओं अथवा ढुलाई के लिए उपयोग किये जाने वाले पशुओं की भरपाई हेतु सहायता राशि प्रदान की जायेगी। उक्त राशि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत मद एवं मापदण्ड के अनुरूप संशोधित समझी जायेगी।

(iii) झारखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में उक्त आपदा से मृत व्यक्ति (देश के किसी भी राज्य के नागरिक) के आश्रित/हकदार को गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत मद एवं मानदण्ड के प्रावधानानुसार अनुग्रह अनुदान राज्य आपदा मोचन निधि के निम्नलिखित बजट शीर्ष के अन्तर्गत राशि के विकलन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी :-

मुख्य शीर्ष	-	2245	-	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
उप मुख्य शीर्ष-		80	-	सामान्य
लघु शीर्ष	-	102	-	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध
उप शीर्ष	-	01	-	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध
विस्तृत शीर्ष	-	07	-	अन्य व्यय
		59	-	अन्य व्यय

(iv) उक्त आपदा से होनेवाली जान-माल की क्षति हेतु आश्रित/हकदार को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त को शक्ति प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी जाती है ।

(v) अनुग्रह अनुदान का भुगतान आश्रित/हकदार के बैंक खाते में सीधे DBT/NEFT/RTGS के माध्यम से किया जायेगा ।

(vi) उक्त आपदा से प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि से भारत सरकार द्वारा वार्षिक कर्णांकित राशि के 10% के अधीन सहायता उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

9. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

10. उपरोक्त कंडिका-8 पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक-12.03.2025 की बैठक के मद संख्या-24 में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार शर्मा,
सरकार के सचिव ।
